



रेफरेंस संख्या -2021/mmp/58

E-Newsletter, Issued in Public Interest

ब्धवार, 7 अप्रैल 2021







		प्रथम सुचना रिपोर्ट		
1.	भूखंडो का पता		A-4,महालक्ष्मी नगर,मालवीय नगर जयपुर	
2.	संचालित गतिविधि		व्यवसायिक शोरूम	
3.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति		बिना सबडिविजन करवाए,बिना नक्ष्शे पास करवाए एवं बिना अनुमति,बिना भवन विनियमों की पालना(बिना सेटबैक छोड़े,बिना पार्किंग,अवैध बेसमेंट के आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स	
4.	सम्बंधित ज़ोन		नगर निगम ग्रेटर मालवीय न	गर ज़ोन
5.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	ज़ोन उपायुक्त श्री सुरेश चौध	री
6.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक		07/04/2021	

जवाब मांगते सवाल?

- क्या भवन मालिक द्वारा इस भूखंड का सब डिविजन करवा लिया गया है?
- क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से इस भूखंड का भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
- 3. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से भवन विनियमों के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
- 4. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
- 5. क्या भवन मालिक द्वारा इन दुकानों की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
- 6. क्या भवन मालिक द्वारा इन दुकानों का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
- यह मामला नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या सक्षम प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
- 8. क्या नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार: में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
- 9. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?
- 10. क्या राजनैतिक रसूखात है इस अवैध बिल्डिंग के मालिक के?
- 11. अब तक कितनी अवैध बिल्डिंगे बना चुका है इस भूखंड का मालिक?

अवैध निर्माण नही उच्च न्यायालय ने

दिखाई सख्ती

पपुर 🕖 पत्रिका . अवैध निर्माण अन्य अवैध गतिविधियां नहीं ने वाले लोकसंबको पर प्राप्टाचार धक कानून के तहत कार्रवाई क ता खुल गया है। हाएंकोर्ट ने अवैध राण सहित अन्य अवैध सहित अन्य वो पर सखती दिखाते हुए को प्रष्टाचार निरोधक कानून के बारे में जानकारी के लिए जिसेक्ट ब्यूरों के चार निरोधक ब्यूरो के निरीक्षक दिनेश एमएन को तलब या। काट न 20 अप्रता का जब्दु कास प्राधिकरण आयुक्त, नगर गम आयुक्त को तलब किया है। जज महेश चन्द्र शर्मा ने हनलाल नामा की अवमानना यह आदेश दिया। कोर्ट ने अबैध निर्माण मामले में जनवरी 2015 को अध्याबेदन का आदेश दिया था। इस पर

इन अधिकारियों और कर्मचारियो खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानन तहत कार्रवाई की जा सकती है नहीं? जवाब के लिए प्राप्टा निरोधक ब्यूरो के महानिरीधक दिने एम एन को तलब किया। उन्हों दायित्व के प्रति अनदेखी को भ भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अधिकारी या कर्मचारी जानबुझव अधिकारी या कार्यचारी जानजुहकाः कार्यवाई न कर्र या अन्दर्शकों करे तो उसके खिलापः प्रष्टाचार निरोधक कानुन के तहत कार्रवाहुं हो स्कृती हो। इसके हिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिला के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश निर्धा कि सामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जायुर विकास प्राधिकरण आगृक्षत व जायुर नगर निराम आगृक्षत से जावाह तहला किया जायु।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अभिवयता प्रश्न रखना चाहे तो वह सुनवाई के चौरान पश्च रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबाई 11 बजे होगी।